[(भारत के राजपत्र भाग-।।खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली

तारीख : 2018

अधिसूचना

सां.का.नियम.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (वर्ग iii और वर्ग iv पद) भर्ती नियम 1968के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का कार्य किया गया है,अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान,मुंबई में फिजियोथिरेपिस्टके पद के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तरः-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदिः-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताः– वह व्यक्ति, किसी
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्तिः-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से,उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्तिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण; आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिजियोथिरेपिस्ट	07*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह-'ख' अराजपत्रित	7वां केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष शिथिलनीय) टिप्पण1: आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-संभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्ष्द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाता है।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनुवार्य: i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथिरेपी में स्नातक डिग्री ii) कम से कम 100 बिस्तर वाले किसी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में फिजियोथिरेपी का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय:** . किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिजियोथिरेपी में किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: किसी पदधारी की प्रतिनियुक्ति या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियॉं केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) : जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	लागूनहीं होता

उपाधि। टिप्पण:1 अन्यथा सूयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक से छूट दिया जा सकता है बर्शते की कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाए। टिप्पण:2 अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों।	

अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।				

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (नियमिति करण के लिए):- 1अपर निदेशक,एआईआईपीएमआर, मुंबई - अध्यक्ष 2 उप निदेशक (पुनर्वास), एआईआईपीएमआर, मुंबई – सदस्य 3परामर्शी (संज्ञाहरण), एआईआईपीएमआर, मुंबई – सदस्य 4 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एआईआईपीएमआर, मंबई – सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए. 11018/1/2016-एमएच-II]

[प्रेम नारायण]
अवर सचिव भारत सरकार